प्रस्तावना

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में थलसेना, आयुध निर्माणियों, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं तथा सीमा सड़क संगठन से संबंधित रक्षा मंत्रालय के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा और परियोजनाओं/योजनाओं की निष्पादन समीक्षाओं के परिणाम समाविष्ट हैं। वर्ष 2012-13 के रक्षा सेवाओं के वित्तीय एवं विनियोजन लेखाओं के लिए उदभूत मामलों को वर्ष 2014 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1 (वित्तीय लेखापरीक्षा) में सम्मिलित किया गया है

इस प्रतिवेदन में वे दृष्टान्त उल्लिखित किए गए हैं जो 2012-13 की अवधि में लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए, साथ ही ऐसे मामले जो पूर्ववर्ती वर्षों में सामने आए, परन्तु पिछले प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे; 2012-13 की अवधि के परवर्ती मामले भी जहाँ कहीं आवश्यक थे सम्मिलित किए गए हैं।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को रिपोर्ट करते हुए इस प्रतिवेदन में 39 पैराग्राफ (इसमे छः निष्पादन समीक्षाऍं और एक वृहत पैराग्राफ समाविष्ट है) सम्मिलित हैं, जैसा कि अध्याय II और उसके आगे विवेचित है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर रक्षा मंत्रालय से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करती है।